फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री पुखराज टाक पुत्र स्व. श्री छोगालाल टाक वृंदावनधाम रोड़ नं. 2 न्यू भुपालपुरा, उदयपुर
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 71/2022**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 06.02.2023 पत्रावली पेश हुई । अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर, राजसमंद से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा जरिये पत्रांक एफ.1( )सू.अ.,05/2022/863–865 दिनांक 2.10.2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग की होने के कारण अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन पत्रांकः 670 दिनांक 08.08.2022 से प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख अनुभाग को अंतरण किया जाकर प्रार्थी को सूचित किया गया। प्रभारी अधिकारी, भू.अ.अनुभाग, कलेक्ट्रेट, राजसमंद द्वारा उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर बिन्दु सं. 3 व 4 की सूचना तैयार कर पत्रांकः प.14( )भू.अ./22/7887 दिनांक 22.08.2022 से लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद को भिजवाते हुए पत्रांकः प.14( )भू.अ./22/9319 दिनांक 20.10.2022 से सीधे ही अपीलार्थी श्री पुखराज टांक को भी भिजवाई जा चुकी है। बिन्दु सं. 1 एवं 2 की सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा से चाही जाने पर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा पत्रांकः आरटीआई/2023/51 दिनांक 4.01.2023 अनुसार बंदोबस्त (सेटलमेंट) 2031 अनुसार ग्राम मंडियाना में आ.नं. 1637 रकबा 1.03 बीघा रेलवे विभाग के नाम पर ही दर्ज है एवं आराजी नं. 1638 रकबा 0.02 बीघा शिक्षा विभाग के नाम पर दर्ज था। संवत् 2031 से पूर्व का राजस्व रिकॉर्ड जिला अभिलेखागार राजसमंद में उपलब्ध होने का उल्लेख करते हुए अपीलार्थी संवत् 2031 से पूर्व का राजस्व रिकॉर्ड जिला अभिलेखागार राजसमंद से प्राप्त कर अनुतोष प्राप्त करने का उल्लेख किया है। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद एवं उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद एवं उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा की रिपोर्ट अनसार अपीलार्थी द्वारा	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

	चाही गई सूचना उपलब्ध करवादी जाने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद एवं उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)